2014/00064

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार मीणा आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–110/2014

मुरारीलाल पुत्रश्री भगवंत जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कांकोली तहसील सैपऊ ————वादी

बनाम

1–अशोक पुत्रश्री कैलाश 2–रामवेटी पत्नी कैलाशचन्द 3–सीतावेटी पत्नी सीताराम जातिगण ब्राह्मण निवासी कांकोली तहसील सैपऊ
4–राधा पुत्री सीताराम पत्नी मुकेश जाति ब्राह्मण निवासी कांकोली हाल निवासी कुम्हेरी तहसील सेपऊ
5–रेखा पुत्री सीताराम पत्नी निरंजन जाति ब्राह्मण निवासी कांकोली हाल आवाद ग्राम ग्राम बरखेडा तहसील सैपऊ
6–अंजू पुत्री सीताराम पत्नी धर्मेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी कांकोली हाल आवाद ग्राम शेखूपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
7–आरती नावालिग उम्र करीब 17 साल पुत्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी कांकोली तहसील सैपऊ सरपरस्त माता सीतावेटी
8–अनारदेई पुत्री बालमुकन्द पत्नी विशम्भर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा
9–प्रेमा पुत्री स्व0 बालमुकन्द पत्नी रामभरोसी जाति ब्राह्ण निवासी रतउआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर
10–गंगा पुत्री स्व0 बालमुकन्द पत्नी स्व0 नत्थीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चंगोरा तहसील राजाखेडा
11–चमेली पत्नी बीरबल 12–सुनीता पत्नी दाऊदयाल 13–सुनीता पत्नी अशोक 14–राधा पत्नी मनरूप जाति गौड निवासी बीच का नगला मजरा कांकोली तहसील सैपऊ
15–उम्मेदीलाल पुत्रश्री मंगलसिंह जाति ब्राह्गण निवासी ग्राम कांकोली तहसील सैपऊ
16–जगन्नाथ पुत्र श्री जाति गौड निवासी ग्राम कांकोली तहसील सैपऊ
17–पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ
18–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ
..................प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निशेधाज्ञा

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

मुन्नी– वादी
अशोक वगैरा– प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 14.7.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1193, 1194, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1200, 1198 वाके ग्राम कांकोली तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया । उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर आज ही दिनांक 30.5.2017 को दावा वादी प्रारम्भिक डिकी किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ की ओर से कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिकी किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाना प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम कांकोली तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1– मुरारीलाल पुत्रश्री भगवंत हिस्सा 21/31 जाति ब्राह्मण सा0 देह,सुनीता पत्नी अशोक कुमार हिस्सा 5/31, चमेली पत्नी बीरबल हिस्सा 5/62, राधा पत्नी मनरूप, सुनीता पत्नी दाऊदयाल हिस्सा बराबर 5/62 जाति गौड सा0 देह

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1200	1.11
कुल	01	1.11

2–मुरारीलाल पुत्रश्री भगवन्त कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार राहिन पी एन बी शाखा सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1	1193	0.07
	1194	0.13
	1199	0.18
	1201	0.02

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(कैम्प कोर्ट)

	1202/1	0.11
	1203/1	0.05
कुल	06	2.16

3–[illegible]वेटी पत्नी कैलाशचन्द हिस्सा 23/81, अशोक पुत्रश्री कैलाशचन्द हिस्सा 12/81, [illegible]देई, गंगा पुत्रीयान बालमुकन्द हिस्सास 1/81, सीतावेटी पत्नी सीताराम, राधा वालिग [illegible], अंजू, आरती नावा.वा. पुत्रियान पिसरान सीताराम नावा0 सरपरस्त माता खुद हिस्सा बराबर 35/81 जाति ब्राह्मण सा0 देह

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1202/2	0.01
	1203/2	0.15
	1204	1.6
	1205	0.02
	1208	1.03
	1209/2	0.14
कुल	06	4.01

4–जगन्नाथ पुत्रश्री श्रीचन्द जाति गौड सा0 देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1–	1209/1	0.06
कुल	01	0.06

खसरा नम्बर 1198 रकवा 0.07 पूर्ववत् शामिलाती रहेगा ।

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप खण्डाधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
अटल सेवा केन्द्र सैपऊ